बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संоसं0–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–...............................

डॉ० शालू भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोठरिया, पूर्वी चम्पारण द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत करायी गयी कि विभागीय अधिसूचना सं०–1190(2) दिनांक–02.09.2021 के अनुपालन में निर्धारित कर्त्तव्य पर दिनांक–06.09.2021 से 30.04.2022 तक कार्य किया गया। वे अपनी अस्वस्थता कारण से दिनांक–01.05.2022 से कर्त्तव्य स्थल पर अनुपस्थित रही। स्वस्थ होने के उपरान्त दिनांक–20.11.2024 को अभ्यादेवन समर्पित करते हुए पदस्थापित स्थल पर योगदान करने का अनुरोध की गयी।

2. डॉ० शालू भारती द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु की गयी अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० शालू भारती का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण को निदेशित किया जाता है कि डॉ० शालू भारती को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० शालू भारती का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० शालू भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोठरिया, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ....52(9)../ पटना, दिनांकः–..14.01.25..

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को निदेशित किया जाता है कि डॉ० शालू भारती के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि–डॉ० शालू भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोठरिया, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025

सरकार के अवर सचिव।